FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गणेशाराम बनाम छोगीराम कोरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 253/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5.10.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
05/10/20	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ मामला पीठासीन अधिकारी डिग्गी प्रार्थी के व्यस्त होने से मिशाल ईत्तला होकर आगामी दिनांक 07/10/2020 को पेश हो/ [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

07/10/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत पास-पास आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के मध्य जो पुरानी मेडे बनी आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी के अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर व सम्बंधित भू-अभि० निरिक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइश-बन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कमती दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपख...
वाद/आवेदन/2020/704
आवेदन संख्या –253/2020
प्रार्थी
श्री गणेशाराम पुत्र विरधाराम
जाति–जाट, निवासी–...
चौखला, तहसी...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

/आवेदन/2020/784 दिनांक :– 07/10/2020

आवेदन संख्या –253/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री गणेशाराम पुत्र विरधाराम
जाति–जाट, निवासी–करनपुर,
चौखला, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री होथीराम पुत्र राणाराम वगैरा 33,
निवासी–करनपुर, चौखला,
तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–करनपुर, पटवार मण्डल–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 247/184, 252/198, 272/198 रकबा क्रमशः 9.2711, 3.2845, 0.0809 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/785 to 789 दिनांक :– 07/10/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गणेशाराम पुत्र विरधाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री होथीराम पुत्र राणाराम वगैरा 33।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/नागाणा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:30:43 IST
Reason: SelfAttested